

न्यायालय सांगागीय आयुक्त, बीकानेर
अपील संख्या- 07/2018 अंतर्गत धारा-76 एल.आर.एक्ट
GCMS No. 2018/00001

अनवान:

1. विद्या देवी पुत्री दलीपूराम साकिन निचला भलवाल पोस्ट ऑफिस डाडा सिबा तहसील देहरा जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश।
2. सुमित्रा देवी पुत्री दलीपूराम साकिन निचला भलवाल पोस्ट ऑफिस डाडा सिबा तहसील देहरा जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश।

बनाम

1. कुननराम पुत्र रावताराम जाति कुम्हार निवासी गांव बान्डा तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
2. राजस्थान सरकार।

Gorharam
(गोरखाराम)
Madanlal
(मदनलाल)
Bhupendra
Bhupendra
Bhupendra

01.06.2022

आज यह पत्रावली अपीलांत विद्यादेवी व सुमित्रा देवी पुत्रिया दलीपूराम जरिये मुखत्यार आम गोरखाराम पुत्र चरसूराम एवं मदनलाल पुत्र मेहरसिंह निवासीगण रैन्य मौजा हवाला तहसील देहरा जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश जरिये अभिभाषक श्री करण सिंह तंवर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर पेशी में ली गई। अभिभाषक अपीलांत एवं मुखत्यार आम अपीलांत उपस्थित। अभिभाषक अपीलांत एवं मुखत्यार आम अपीलांत ने हमारे समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलांत एवं रेस्पोंडेन्ट्स के मध्य उक्त विवाद का आपसी सहमति से राजीनामा हो गया है। अब वादगत भूमि बाबत कोई विवाद शेष नहीं रहा है। अतः अपीलांत अपनी अपील विज्ञा करना चाहता है।

हमने अभिभाषक मुखत्यार आम अपीलांत द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली का अवलोकन किया। यह अपील अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ के निर्णय दिनांक 21.12.2017 के विरुद्ध इस न्यायालय में विचाराधीन है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अनुसार मुखत्यार आम अपीलांत जरिये अधिवक्ता श्री करण सिंह तंवर इस अपील को आगे चलाना नहीं चाहते एवं विज्ञा करना चाहते हैं। अभिभाषक अपीलांत (पूर्व मुखत्यार आम) श्री सुरेश शर्मा को न्यायालय द्वारा जरिये दूरभाष सूचित करने के उपरान्त भी उपस्थित नहीं हुए। अतः यह अपील अपीलांत जरिये विज्ञावल इसी स्तर पर खारिज की जाती है। आदेश की प्रमाणित प्रति अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ को प्रेषित हो। अपील नंबर से कम होकर पत्रावली बाद तत्कालीन दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया।

सांगागीय आयुक्त
बीकानेर